

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0न0-8-22

क्रमांक-129 / 2017

आरबीई सं0-61 / 2017

सं0 का / 254 / 2 / भाग-22 / चार

दिनांक 05-07-2017

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) के द्वारा सीधी भर्ती कोटा के 50% रिक्तियों को भरने हेतु-सम्मान ग्रेड पे/वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों की पात्रता के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)1-2008/पीएम 1/6 पार्ट दिनांक 23.06.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक / यथोपरि

(Signature)
05-07-17
(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि / अराज
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी / एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

(Signature)
05-07-17
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

NER

2
129/2017

RBE NO. 61/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2008/PM1/6 Part

New Delhi, dated 23.06.2017

The General Manager (P)
All Indian Railways & Pus
(As per Standard List)

ll circulate
23/6/17

23/6/17
5/2/2017
COS Rtdg

Subject : Filling up 50% of DR Quota vacancies through General Departmental Competitive Examination (GDCE) – eligibility of staff in same Grade Pay/Pay Scale – regarding.

Reference : Railway Board's letter No.E(NG)I-2004/PM2/3 dated 20.10.2005

Zonal Railways may please refer to Board's letter quoted in the reference, in terms of which employees working in grades lower than the grades for which GDCE is held, are eligible to appear in the selection held for GDCE

2. Both the Federations, viz., AIRF and NFIR have raised the issue of eligibility of staff for appearing in GDCE and have requested Board to allow staff from same grade pay/pay scale also to avail the benefit of GDCE.

3. The matter has been examined and it has been decided that in partial modification of Board's letter quoted in the reference, staff from same grade pay/pay scale may be allowed to appear in selection for GDCE only in case the selection is from Non-Safety to Safety posts. Other conditions remain unchanged.

Please acknowledge receipt of this letter.

Hindi version shall follow.



(P. M. Meena
Deputy Director-II/E(NG
Railway Board